र व तारीख
गय जो इस पु
रीख में जारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आरएएस

प्रकरण संख्याः–31 / 2020 / दावा

1. राजेन्द्र सिह पुत्र दौलसिंह जाति राजपुत निवासी जालूण्ड तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

–वादी

बनाम

1. मिठू कंवर पत्नि दौलसिंह
2. कंचन कंवर पुत्री दौलसिंह
3. विनोद कंवर पुत्री दौलसिंह
4. निर्मल कंवर पुत्री दौलसिंह

समस्त जाति राजपुत निवासीगण जालूण्ड तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

5. पटवारी, पटवार हल्का कैलाश तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
6. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा व रिकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थितिः

1. श्री राजेन्द्र जाट वकील वादी की ओर सें।
2. श्री राजेन्द्र सिंह रणवां वकील प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर सें।

निर्णय दिनांक 27.10.2020

1. वाद में वादी का कथन व वादसार इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की संयुक्त पैत्रिक कृषि भूमियां खसरा नम्बर 550 रकबा 1.24 हैक्टर किता 1 कुल रकबा 1.24 हैक्टर वाके ग्राम जालूण्ड पटवार हल्का कैलाश तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। जिसमें वादी के पिता स्व0 दोलसिंह पुत्र रिद्ध सिंह के कब्जेकाश्तशुदा एवं खातेदारी शुदा रही है। उक्त वादी के पिता दोलसिंह पुत्र रिद्ध सिंह का स्वर्गवास दिनांक 16.11.2017 को हो चुका है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की वंशावली इस प्रकार हैः–

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

दोलसिंह पुत्र रिद्धसिंह – मृतक

मिठू कंवर	राजेन्द्र सिह	कंचन कंवर	विनोद कंवर	निर्मल कंवर
पत्नि	पुत्र	पुत्री	पुत्री	पुत्री

उक्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की संयुक्त अविभाजित पैतृक संम्पदा है उक्त भूमि के खातेदार वादी के पिता दौलसिंह पुत्र रिद्ध सिंह का स्वर्गवास हो जाने पर उक्त कृषि भूमियों के विधिक वारिशान व उत्तराधिकारी है। उक्त दोलसिंह की खातेदारीशुदा कृषि भूमि मे वादी का 1/5 हक हिस्सा है तथा उसकी मृत्यु के बाद उपरोक्त भूमियों में प्रतिवादी संख्या 1 का हक हिस्सा 1/5 प्रतिवादी संख्या 2 का हक हिस्सा 1/5 प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 1/5 व प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा 1/5 पैतृक है एवं इसी अनुसार खातेदार दोलसिंह की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तकरण भरा जाना है परन्तु हल्का पटवारी कैलाश द्वारा आज तक विरासत का नामान्तकरण नहीं भरा गया है जबकि मौके पर काबिज काश्त है। उक्त भूमियों में वादी का हक हिस्सा 1/5 जन्मजात पैतृक है एवं वादी उक्त हक हिस्से की खातेदारी की उद्घोषणा करनवाने का अधिकारी है परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा इसमें दखल दी जारी है जो कतई न्यायोचित नहीं है हाल ही मे दिनांक 10.03.2020 को प्रतिवादीगण ने घर पर वादी को यह स्पष्ट कह दिया है कि स्व0 दोलसिंह के नाम से खातेदारी की भूमियों मे आपको कोई हिस्सा नहीं देंगें। तब वादी ने प्रतिवादीगण को समझाने का प्रयास किया व सहमति से उसका पैतृक हिस्सा रिकार्ड में दर्ज करवाने को कहा तो प्रतिवादीगण आगबबूला हो गये और वह कहा की हम हमारे नाम से भूमि की खातेदारी करवाकर भूमियों अन्पत हस्तारित करेगें जो कतई न्यायोचित नहीं है। यदि प्रतिवादीगण आपस में मिलकर वर्णित विवादास्पद पैतृक सम्पदा को

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

बिना वादी के सहमति से अन्यत्र रहन बेचान व हस्तातरित कर वादी को जबरन बेदखल करने में कामयाब हो गये तो इस कदर वादी घोर असुविधा व अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी तलाशी भविष्य मे कानून द्वारा भरपाई किया जाना किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है। वाद कारण दिनांक 10.03.2020 को प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर वादी को उसके पैतृक हक हिस्से से बेदखल करने का भूमियां अन्यत्र हस्तातरण करने की सरे आम धमकी दिये जाने पर उत्पन्न हुआ जो क्षण प्रतिक्षण निरन्तर रूप से दावा दायरी के दिन से चालू है। अतः वादी अन्त में वाद प्रस्तुत कर यह इस्तदुआ चाही कि खसरा नम्बर 550 रकबा 1.24 हैक्टर किता 1 कुल रकबा 1.24 हैक्टर वाके ग्राम जालूण्ड पटवार हल्का कैलाश तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की खातेदारी से मृतक खातेदार दोलसिंह पुत्र रिद्धसिंह का नाम हजफ कर उसके स्थान पर वादी को सम्पूर्ण भूमि में से पैतृक हक हिस्सा 1/5 का काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती के आदेश पारित किया जाना न्याय संगत है तथा वादी के नाम खातेदारी की उद्घोषणा होने तक प्रतिवादीगण को उक्त संयुक्त पैत्रिक संपदा को किसी भी प्रकार सें खुर्दबुर्द कर वादी के उपयोग–उपभोग में दखलंदाजी करने आदि सें जरिये स्थायी निषेधाज्ञा सें प्रतिबंधित फरमाया जावे।

2. वादपत्र पेश होने पर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर सें वकील श्री राजेन्द्र सिंह रणवां हाजिर आये। शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा तस्दीक किया गया। वादी की ओर से वकील राजेन्द्र जाट ने आवेदन 152 सीपीसी पेश किया जिसको बाद सुनवाई कर स्वीकार कर वाद

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

पत्र में पैरा संख्या 3 में लाल स्याही से दौलसिंह पुत्र रिद्धसिंह उर्फ रतनसिह दर्ज किया गया। वादपत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण की वाद में सहमति के आधार पर वादी का वाद प्रथम दृष्ट्या स्वीकार होने योग्य है। प्रतिवादीगण की सहमति पर तथा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वाद में उद्घोषणा इस प्रकार की जाती है कि भूमि खसरा नम्बर 550 रकबा 1.24 हैक्टर किता 1 कुल रकबा 1.24 हैक्टर वाके ग्राम जालूण्ड पटवार हल्का कैलाश तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की खातेदारी से मृतक खातेदार दोलसिंह पुत्र रिद्धसिंह का नाम हजफ कर उसके स्थान पर वादी राजेन्द्रसिंह को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक को 1/5, 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। डिक्री जारी हो। तहसीलदार दांतारामगढ को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निर्णय की पालना कर न्यायायय को पालना सें अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ, सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

राजेन्द्र सिंह बनाम मिठू कंवर आदि

दावा बाबत उद्घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

मुकदमा नं0 31 / दावा सन् 2020 निर्णय दिनांक. 27.10.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **अशोक कुमार आर.ए.एस** बहाजरी **श्री राजेन्द्र जाट** मिनजानिब मुद्दई व श्री राजेन्द्र सिंह रणवां मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर सें पेश राजीनामे के आधार पर अंतिम डिक्री इस प्रकार सें जारी की जाती है कि भूमि खसरा नम्बर 550 रकबा 1.24 हैक्टर किता 1 कुल रकबा 1.24 हैक्टर वाके ग्राम जालूण्ड पटवार हल्का कैलाश तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की खातेदारी से मृतक खातेदार दोलसिंह पुत्र रिद्धसिंह का नाम हजफ कर उसके स्थान पर वादी राजेन्द्रसिंह को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक को 1/5, 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। तहसीलदार दांतारामगढ को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निर्णय की पालना कर न्यायालय को पालना सें अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.10.2020 को जारी की गई।

मोहर दस्तखत ओहदा

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	—	—	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	—	—	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट   इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़